UPVR010035742026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश **(**एस **0** सी**0**/एस **0** टी**0** एक्ट**),** वाराणसी।

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या- **184/2026**

अजय कुमार भारती पुत्र श्रीनाथ भारती निवसी ग्राम- कुर्सिया, थाना-चौबेपुर, जिला वाराणसी। हाल पता मौजा- पतेरवां, थाना-सारनाथ, जिला वाराणसी।

..... प्रार्थी।

बनाम

1.जितेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र अज्ञात।
2. अंजू सिंह पत्नी जितेन्द्र बहादुर सिंह।
3. अनिश सिंह पुत्री जितेन्द्र बहादुर सिंह।
4. अनुष्का सिंह पुत्री जितेन्द्र बहादुर सिंह।

सभी वयस्क निवासीगण ग्राम व पोस्ट मानिकपुर, थाना- मनियर, जिला-बलिया हाल पता पतेरवां, थाना-सारनाथ, जिला वाराणसी।

.....विपक्षीगण।

अन्तर्गत धारा-**173(4)** बी**0** एन **0** एस **0** एस **0**
थाना-सारनाथ**,** जिला वाराणसी।

दिनांक-**30.05.2026**

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुयी। आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी0 एन 0 एस 0 एस 0 पर उसके विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है तथा प्रार्थनापत्र एवं संलग्न समस्त प्रपत्रों को अवलोकन किया।

संक्षेप में आवेदक के प्रार्थनापत्र का कथानक है कि प्रार्थी/वादी उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है। प्रार्थी ने सन् 2014 में जमीन क्रय कर सन् 2017 में मकान का निर्माण कराकर उसमें सपरिवार अबाद चला आ रहा है। प्रार्थी सहायक अध्यापक के पद पर रहकर राज्य सरकार में अपनी सेवायें दे रहा है तथा निहायत ही शरीफ व शांतिप्रिय व कानून में आस्थाय रखने वाला सम्मानित अध्यापक है। प्रार्थी के पड़ोसी विपक्षी जितेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र अज्ञात व अंजू सिंह पत्नी जितेन्द्र बहादुर सिंह व पुत्री अनिश सिंह उम्र लगभग 25 वर्ष व अनुष्का सिंह उम्र लगभग 23 वर्ष पुत्रीगण जितेन्द्र बहादुर सिंह सभी निवासीगण ग्राम व पोस्ट मानिकपुर, थाना-मनियर, जिला-बलिया हाल पता पतेरवां, थाना सारनाथ, जिला वाराणसी ने अपने पत्नी अंजू सिंह के नाम सन् 2022 ई० में जमीन की रजिस्ट्री कराकर 2023 मे निर्माण कराकर सपरिवार रहता है। विपक्षीगण काफी रसूखदार, मनबढ व धनबल है तथा शासन सत्ता में गहरी पैठ रखते है विपक्षी जितेन्द्र बहादुर सिंह उ०प्र० पुलिस मे दरोगा के पद पर कार्यरत है तथा पूरे कालोनी में पुलिसिया रौब दिखाता रहता है जिस कारण प्रार्थी के परिवार के साथ-साथ स्थानीय लोग भी काफी भयभीत रहते है। प्रार्थी अनुसूचित (चमार) जाति का व्यक्ति है, इसलिये आये दिन प्रार्थी तथा प्रार्थी के परिवार को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर विपक्षीगण अपमानित करते रहते हैं तथा प्रार्थी के दरवाजे पर कूड़ा फेक देते है मना करने पर भी यह लोग अपनी हरकतों से बाज नही आ रहे हैं तथा पिछले 6 माह से निरन्तर कूड़ा फेकने व सार्वजनिक तौर पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर सामाजिक व मानसिक रूप से निरतंर प्रताड़ित कर रहे है

Digitally signed by SUDHAKAR RAI
Date: 2026.06.03 07:47:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जिससे प्रार्थी व प्रार्थी का परिवार काफी क्षुब्ध है। डरवश प्रार्थी अभी तक कोई कानूनी कार्यवाही नहीं किया। प्रार्थी की पत्नी प्राईवेट स्कूल में शिक्षिका है तथा प्रार्थी की दो पुत्रियां कमशः पलक लगभग 17 व यशस्वी 13 वर्ष है। प्रार्थी के विद्यालय चले जाने पर विपक्षीगण जितेन्द्र बहादुर सिंह व उसकी पत्नी अंजू सिंह व उनकी लड़कियां सार्वजनिक तौर पर प्रार्थी व प्रार्थी के पत्नी व बच्चों को चमार सियार नीच जाति का कहकर बराबर अपमानित व बेइज्ज़त करती रहती है। वे लोग बराबर कहते है कि घर से निकलते ही इन नीच जाति चमार, सियार का मुंह देखना पड़ता है। प्रार्थी ने विपक्षी जितेन्द्र बहादुर सिंह से मिलकर जब इसकी मौखिक शिकायत किया तो विपक्षी ने भी पुलिसिया रौब व आग बबूला होकर कहा कि "तुम चमार हो, चमार को चमार सियार नही कहेगे तो क्या बाबू साहब कहेगें?" तुम्हारी यह हिम्मत कि मुझसे मेरी बेटियो व पत्नी की शिकायत कर रहे हो। मैं तुम लोगो का जीना हराम कर दूंगा, ऐसा केस लगवा दूंगा कि नौकरी चली जायेगी व जमीन छोड़कर चमरौटी में भाग जाओगे। सभी विपक्षीगण चाहते है कि प्रार्थी अपना मान सम्मान गिरवी रखकर विपक्षीगण की गुलामी करे या प्रार्थी अपना घर बार बेचकर चला जाये। विपक्षीगण कहते है कि बलिया में चमारो की हैसियत हमारे सामने जमीन पर बैठने की नहीं है और यहाँ पर यह चमार सियार हम लोगो के सामने कुर्सी पर बैठ रहे है। श्रीमान् जी यदि प्रार्थी व प्रार्थी के जाति से विपक्षीगण को इतनी ही नफरत है तो मकान बनाने से पहले पास-पड़ोस के सभी लोगो की जाति विरादरी पता कर लेनी चाहिये थी। दिनांक 28.03.2026 ई० को जितेन्द्र बहादुर सिंह अपने घर पर थे तथा शाम को अपने बेटियो व पत्नी से प्रार्थी के दरवाजे पर कूड़ा फेकवा दिये, चूंकि शाम का समय था इसलिये प्रार्थी चुपचाप सहन कर लिया लेकिन घटना दिनांक 30.03.2026 ई० समय लगभग 6:00 से 6:30 बजे शाम की है जब प्रार्थी विद्यालय से अपने घर आकर आराम कर रहा था उसी दौरान पुनः विपक्षीगण अंजू सिंह व अनिशा सिंह उम्र लगभग 25 वर्ष व अनुष्का सिंह ने प्रार्थी के दरवाजे पर कूड़ा फेकते हुआ कहा कि "चमरा" तो आ गया है। प्रार्थी ने जब इसका विरोध किया तो सभी लोग पूर्व नियोजित ढंग से एक राय होकर गोल बनाकर प्रार्थी को चप्पल निकालकर मारने के लिये दौड़ा लिये तथा गाली देते हुये ललकारे कि घर छोड़कर भाग जाओ नही तो तुमको व तुम्हारे परिवार को इसी तरह घुट-घुटकर मरने के लिये मजबूर कर देंगे। मेरा बाप दरोगा है तुम लोग हम लोगो का कुछ भी नहीं बिगाड पाओगे चाहे जहां जाओ तुम्हारी कही सुनवाई नही होगी। प्रार्थी विपक्षीगण के उक्त कृत्य से काफी डरा व सहमा है तथा प्रार्थी की नाबालिग पुत्रियां डर व दहशत के वजह से कही स्कूल आने जाने में असहज महसूस कर रही है प्रार्थी को डर है कि प्रार्थी की अनुपस्थित में उक्त विपक्षीगण प्रार्थी के परिवार के जान माल व सम्पत्ति को नुकसान पहुचां सकते है। घटना दिनांक 30.03.2026 ई० को विपक्षी जितेन्द्र बहादुर सिंह की लड़किया 112 नम्बर पर पुलिस को फोन कर बुला ली और प्रार्थी पर झूठा आरोप लगाया कि प्रार्थी उनको गन्दे इशारे कर रहा था और उनकी तरफ मुंह कर पैन्ट खोल रहा था परन्तु कालोनी के तमाम लोगो जो उक्त घटना को देख रहे थे जिन्हे वक्त जरूरत पर माननीय न्यायालय के समक्ष बतौर गवाह माननीय न्यायालय के आदेश पर पेश किया जायेगा, वाद-विवाद देख रहे कालोनी के तमाम लोगो ने जब पुलिस को यह बताया कि आरोप सरासर गलत है केवल "चमार" होने की वजह से यह लोग बराबर गालियां देते है और परेशान व अपमानित करते है। सारी बात जानने समझने के बावजूद पुलिस वालो ने कहा कि औरतो की ही बात सुनी जायेगी तुम्हारी कोई सुनवाई नही होगी। विपक्षी जितेन्द्र बहादुर सिंह ने अपनी पत्नी व लड़कियो को आगे कर प्रार्थी तथा प्रार्थी के परिवार का अनुसूचित जाति (चमार) होने की वजह से सामाजिक रूप से रोज-रोज प्रताडित, अपमानित व बेइज्ज़त कर व करवा रहे है और जान से मारने की धमकी दे रहे है विपक्षीगण को पुरा विश्वास हो गया कि प्रार्थी अपना घर बेचकर कही अन्यत्र चला जायेगा। प्रार्थी ने उक्त घटना के सन्दर्भ मे एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक-30.03.2026 ई० समय लगभग 8:00 बजे रात्रि को थानाध्यक्ष महोदय सारनाथ वाराणसी को दिया था लेकिन प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर श्रीमान् थानाध्यक्ष द्वारा कोई कार्यवाही नही की गयी। उपनिरीक्षक अजय कुमार मय हमराही थाना सारनाथ वाराणसी जांच हेतु प्रार्थी के घर गये थे तथा प्रार्थी की पत्नी जो की खुद पेशे से शिक्षिका है को अपमानित शब्दो जैसे कि तुम्हारा मुह देखने लायक नही है अन्दर जाओ डाट कर भगा दिये। उपनिरीक्षक के उक्त कृत्य से क्षुब्ध होकर तथा विपक्षी के पुलिसिया रौब के डर से प्रार्थी अपने उक्त मकान पर दिनांक-31.03.2026 ई० को सी०सी०टी० वी० कैमरा लगवा

दिया है। प्रार्थी ने दिनांक-31.03.2026 ई० को उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र माननीय मुख्यमंत्री उ०प्र० को जन सुनवाई पोर्टल पर भी दर्ज कराया और जन सुनवाई पोर्टल पर दर्ज शिकायत के निस्तारण हेतु उपनिरीक्षक चौकी सारनाथ वाराणसी अजय कुमार द्वारा प्रार्थी के मोबाईल नम्बर-8471016725 पर 9670976201 नम्बर से फोन कर दिनांक-03.04.2026 ई० चौकी सारनाथ वाराणसी बुलाया गया तथा बकायदा बयान लेकर यह आश्वासन दिया कि जांच कर आपकी भी FIR दर्ज कर ली जायेगी। प्रार्थी के मोबाईल नम्बर-8471016725 पर दिनांक 05.04. 2026 ई० रात्रि को मैसेज आया कि आपकी ऑनलाईन शिकायत सन्दर्भ संख्या-40019726013165 का निस्तारण कर दिया। उक्त सन्दर्भ संख्या की स्टेटस रिपोर्ट प्रार्थी ने जब सहज जन सेवा केन्द्र से निकाला तो प्रार्थी को यह ज्ञात हुआ कि जांच अधिकारी उपनिरीक्षक सौरभ तिवारी ने विपक्षी व पुलिस प्रभाव को कायम रखने के लिये गलत, फर्जी व मनगढंत साक्ष्यो के आधार पर विपक्षी के एक किता शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक-31.03.2026 ई० की कार्यवाही को करते हुये प्रार्थी के विरूद्ध एक किता प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-166/2025 अन्तर्गत धारा-115 (2), 352,351 (3) व 333 BNS मे दर्ज कर रखा है। जिसमे प्रार्थी की पत्नी बिन्दु व पड़ोसी शीला देवी पत्नी रमेश जो कि अपने पति के साथ इलाहाबाद में रहती है संयोग से 2 दिन के लिये अपने मकान पर रहने के लिये आयी थी उसको भी आरोपित बना लिया है निस्तारित रिपोर्ट मे संलग्न फोटो प्रार्थी के अनुमति के बिना खीची गयी है। जबकि प्रार्थी ने उक्त घटना के बाबत दिनांक-30.03.2026 ई० समय लगभग 8:00 बजे सायं को अपना एक किता शिकायती प्रार्थना पत्र विपक्षी के शिकायत प्रार्थना पत्र से पहले श्रीमान् यानाध्यक्ष महोदय को दिया था लेकिन प्रार्थी को को बार-बार आश्वासन देते रहे कि घबराओ नही जल्द ही तुम्हारा FIR दर्ज कर देगें। थानाध्यक्ष के मनमानी व एक पक्षीय कार्यवाही से क्षुब्ध होकर दिनांक-07.04.2026 ई० प्रार्थी एक किता शिकायती प्रार्थना पत्र जरिये रजिस्टर्ड डाक श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय वाराणसी व माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अनूसूचित जाति आयोग नई दिल्ली को दिया है जिसकी रजिस्ट्री रसीद व स्टेटस रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। विपक्षीगण अवयस्क नहीं है। विपक्षी सख्या । उ०प्र० पुलिस में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत है। विपक्षीगण द्वारा व स्थानिय पुलिस द्वारा बार-बार भय दिखाकर प्रताड़ित किया जा रहा है जिससे प्रार्थी व प्रार्थी का परिवार काफी हताश व निराश है। अभी तक विपक्षीगण के उपर कोई कार्यवाही नही होने के कारण प्रार्थी काफी निराश व हताश है प्रार्थी की एक मात्र उम्मीद अब माननीय न्यायालय से है जिस कारण प्रार्थी जरिये 173(4) BNS के अन्तर्गत माननीय न्यायालय के समक्ष न्याय हेतु प्रार्थना पत्र दाखिल कर रहा है।

आवेदक द्वारा कथन के समर्थन में एक किता जाति प्रमाणपत्र, एक किता शिकायती प्रार्थना पत्र थानाध्यक्ष सारनाथ की प्रति व रसीद, एक किता एस.सी./एस.टी. आयोग प्रार्थना पत्र की प्रति व रसीद, एक किता पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी शिकायती प्रार्थना पत्र की प्रति, प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति, सभी शिकायतो की ट्रैकिंग रिपोर्ट व अन्य प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है।

थाने से आख्या आहूत है जिसमें यह उल्लिखित है कि थाने पर उक्त प्रकरण के संबंध में कोई अभियोग दर्ज नहीं है।

प्रार्थनापत्र को देखा जाये तो आवेदक ने अपने प्रार्थनापत्र में घटना का सम्पूर्ण विवरण, दिनांक, समय एवं स्थान एवं विपक्षीगण के नाम का उल्लेख किया है। आवेदक के साथ जो कथित रूप से घटना कारित किया जाना कहा गया है, उसकी सम्पूर्ण जानकारी उसे है, जिसके संबंध में आवेदक एवं गवाह के माध्यम से स्वयं न्यायालय के समक्ष दोषारोपण के संबंध में सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत कर घटना को साबित कर सकती है।

आवेदक के प्रार्थनापत्र में दर्शित तथ्यों एवं माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **Mohd. Yusuf Vs Smt Afaq Jahan 2006(54) ACC 530 Supreme Court** में प्रतिपादित विधि सिद्धान्तों के आलोक में विवेचना कराये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रार्थनापत्र 173(4) बी0 एन 0 एस 0 एस 0 को परिवाद के रूप में पंजीकृत कर कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः आवेदक का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाये। पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा 223 बी०एन०एस०एस० दिनांक-**24.07.2026** को पेश हो।

स्पष्ट किया जाता है कि मामले को परिवाद दर्ज करने पर जो प्रस्तावित अभियुक्तगण हैं उनको नोटिस माननीय उच्च न्यायालय, कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायिक निर्णयन **Sri Basanagouda R. Patil Vs Sri Shivananda S. Patil Criminal petition No. 7526 of 2004 Judgment Dated 03.12.2024** के अनुक्रम में प्रस्तावित अभियुक्तगण को तलबी के पूर्व श्रवण किया जायेगा।

(सुधाकर राय)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)
वाराणसी।
JO Code UP6256